

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारी: रिष्पाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदक:-

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त:-

अर्जुन सिंह पुत्र प्रेमसिंह उम्र-45 जाति राजपुरोहित
(विक्रेता एवं मालिक)

निवासी:- वार्ड नं. 13 श्याम कॉलोनी, परबतसर, जिला नागौर।

फर्म:- जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, परबतसर जिला नागौर।

प्रकरण संख्या:- 28/2021

“ अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006”

उपस्थिति:-

1. प्रतिवादी अर्जुन सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपुरोहित ।
2. राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ।

-:निर्णय :-

दिनांक :- 24 अगस्त, 2021

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2020 को समय 03:25 पी.एम. पर फर्म जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, परबतसर जिला नागौर में पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति अर्जुन सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी:- वार्ड नं. 13 श्याम कॉलोनी, परबतसर जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खाद्य पदार्थ मावा बर्फी आदि रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।



**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)**

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 07 किलो मावा बर्फी मिठाई एक लोहे की ट्रे में आमजन को विक्रय वास्ते रखी हुई थी। जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह मावा बर्फी मिठाई का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जाँच हेतु ले रहे हैं। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में लोहे की ट्रे में रखे मावा बर्फी मिठाई को अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 2 किलो मावा बर्फी मिठाई तुलवाकर स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रु. 480/- (अक्षरे चार सौ अस्सी रु. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q-1391 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता अर्जुन सिंह एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री रामदेव, वार्ड बॉय कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परबतसर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है, शेष सीलबन्द नमूना



(Handwritten Signature)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

बोतलों मय फार्म नं.6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सी.ल बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा.) जयपुर का पत्रांक 823 दिनांक 23.10.2020 प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य 26.10.20 से 14.11.20 चलाये जा रहे "शुद्ध के लिए युद्ध अभियान" के अन्तर्गत किये गये नमूनीकरण/निरीक्षण एवं अन्य कार्यों की प्रभावी क्रियान्विति हेतु अभियान अवधि में राजकीय अवकाश दिवसों में राज्य में संचालित केन्द्रीय जन प्रयोगशाला जयपुर एवं सभी जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान कार्य दिवसों की भांति खुली रहेगी। जिसकी छाया प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

- (4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक-चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/602-603 दिनांक 25.11.2020 के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या L.S/459/Act/2020/244 दिनांक 05.11.2020 से खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता अर्जुन सिंह से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई का नमूना Q-1391 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZZ)(iv) & 3(1)(ZZ)(vi) के तहत अनसेफ होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने फर्म को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक-चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/602-603 दिनांक 25.11.2020 प्रेषित किया। अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद व जांच रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

जोधपुर मिष्ठान भण्डार की ओर से अर्जुनसिंह, खाद्य विश्लेषक अजमेर की प्राप्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने के कारण, अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के समक्ष प्रार्थना पत्र मय फार्म नं 8 व मूल डीडी प्रस्तुत कर पुनः जांच हेतु अपील की जिस पर कार्यवाही करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने नमूने के द्वितीय भाग को श्रीमान निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पूणे को भिजवाया गया। फार्म-6ए की कार्यालय प्रति मय रजिस्ट्री की रसीद व फार्म नं.-8 मय प्रार्थना पत्र जो कि न्याय निर्णयन आवेदन संलग्न है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा नमूना पार्सल करने की मूल रसीद चस्पा है, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन संलग्न है।

- (5) श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक-चिकि/एफएसएसए/RFL-Pune/2021/259-60 दिनांक 01.03.2021 के साथ संलग्न निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेट्री, पूणे का विश्लेषण सर्टिफिकेट नं RFL/DO/24/21/63/2021



Handwritten signature
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

दिनांक 28.01.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया तथा जांच रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा फर्म को भी रजिस्टर्ड पत्रांक चिकि/एफएसएसए/RFL-Pune/2021/258-60 दिनांक 01.03.2021 से भेजी गई। चूंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के नियम 2.4.6(i) के अनुसार रैफरल फूड लैबोरेट्री से प्राप्त जांच रिपोर्ट अन्तिम है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का अग्रोषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद व विश्लेषण सर्टिफिकेट, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता अर्जुनसिंह को प्रेषित की गई।

- (6) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।
- (7) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 22.07.2021 को प्रतिवादी अर्जुनसिंह ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेंट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 02.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस मावा बर्फी मिठाई का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
- (8) प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 16.08.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।
- (9) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी



(Signature)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 02.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 03:25 पी.एम. पर फर्म जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, परबतसर जिला नागौर में पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति अर्जुनसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी- वार्ड नं. 13 श्याम कॉलोनी, परबतसर जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते मावा बर्फी मिठाई आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान का स्वयं का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिखाए को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

- (10) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहाँ पर लगभग 07 किलो मावा बर्फी मिठाई एक लोहे की ट्रे में आमजन को विक्रय वास्ते रखी हुई थी। जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह मावा बर्फी मिठाई का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जाँच हेतु ले रहे हैं। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त मावा बर्फी मिठाई को अच्छी तहर से हिलामिलाकर उस में से 2 किलो मावा बर्फी मिठाई तुलवाकर स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 480/- (अक्षरे चार सौ अस्सी रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं० दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q-1391 को नियमानुसार गोद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता अर्जुनसिंह एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नं. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म:-जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, परबतसर, जिला नागौर, विक्रेता मालिक अर्जुनसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी वार्ड नं. 13 श्याम कॉलोनी, परबतसर जिला नागौर से खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना जार मय फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री रामदेव, वार्ड बॉय, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परबतसर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 03.11.2020 को देकर रसीद प्राप्त कर शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 03.11.2020 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर रेफरल फूड लैबोरेट्री पूणे के FORM-A सिर्टिफिकेट नं. RFL/DO/24/21/63/2021 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

Opinion- I am of the opinion that, the sample मावा बर्फी मिठाई (दूध चिनी से निर्मित) - **Mawa Burfi Mithai- (Prepared from Milk & Sugar)** bearing No. **Q-1391**, does not conform to the standards of proprietary Food/ Prepared Food, as per Regulation No. **2.12.1 & Food Category System No. 1.7** of the Food Safety and Standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulation, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. Hence **sub- standard** under section 3(1)(ZX) of the Food Safety Act 2006.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई की जांच रिपोर्ट संख्या **LS/459/Act/2020/244** दिनांक 05.11.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता अर्जुनसिंह से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई का नमूना **Q-1391** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनसेफ पाया गया है। जिसकी जांच रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट संख्या




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

LS/459/Act/2020/244 दिनांक 05.11.2020 अर्जुनसिंह को प्रेषित की गई। जिससे संतुष्ट नहीं होने से विक्रेता अर्जुनसिंह ने पुनः रेफरल लैबोरेट्री से जांच करवाने हेतु अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र मय फार्म न. 8 व मूल डीडी प्रस्तुत कर अपील की जिस पर अभिहित अधिकारी ने निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पूणे को नमूना भिजवाया। निदेशक, रेफरल लैबोरेट्री पूणे का विश्लेषण सर्टिफिकेट न .RFL/DO/24/21/63/2021 दिनांक 28.01.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा बर्फी मिठाई का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य है। निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला रेफरल लैबोरेट्री, पूणे की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:-

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है-

धारा 51:-अवमानक खाद्य के लिए शास्ति:-

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(11) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक: चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/602-603 दिनांक 25.11.2020 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है। जिससे संतुष्ट नहीं होने पर पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रेफरल लैबोरेट्री पूणे से करवायी गई जिसके तहत उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, परबतसर, जिला नागौर दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-51 के तहत प्रतिवादी अर्जुनसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी-वार्ड नं. 13 श्याम कॉलोनी, परबतसर जिला नागौर, फर्म:-जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस रटेण्ड, परबतसर जिला नागौर पर राशि रुपये 26000/- (अक्षरे रुपये छब्बीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सूनश्चित करेंगे।

(12) आदेश दिनांक 24.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रिछपाल सिंह बुरडक)
 न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
 अति० जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना